

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.क्रमांक-300032 / 2016

संस्थित दिनांक-12.07.2016

1. कलावती, उम्र-35 वर्ष, पति समलसिंह, जाति गोंड,
 2. थेन्सनानी, उम्र-12 वर्ष, पिता समलसिंह, जाति गोंड,
 3. डैन्थिम्मे, उम्र-10 वर्ष, पिता समलसिंह, जाति गोंड,
 4. रुकमणी, उम्र-6 वर्ष, पिता समलसिंह, जाति गोंड,
- तीनों नाबालिग बली मां कलावती पति समलसिंह,
 सभी निवासी-केवलारी, हाल मुकाम-गुराखारी, तहसील बैहर,
 जिला बालाघाट म.प्र.

- - - - - **आवेदकगण**// **विरुद्ध** //

समलसिंह, उम्र-40 वर्ष, पिता विक्रम, जाति गोंड, निवासी-केवलारी,
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

- - - - - **अनावेदक**

- - - - -

// **आदेश** //**(आज दिनांक-28 / 03 / 2018 को पारित)**

1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-12.07.2016 का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका क्र.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। आवेदक क्र.02, 03 अनावेदक के पुत्र हैं एवं आवेदिका क्र.04 अनावेदक की पुत्री है।

3- आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क्र.01 का विवाह अनावेदक से जाति रीति रिवाज अनुसार वर्ष 2003 में हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगे थे। उभयपक्षों के दाम्पत्य संसर्ग से आवेदक क्र.02,03,04 का जन्म हुआ था। आवेदिका क्र.04 के जन्म के पश्चात् अनावेदक का व्यवहार आवेदिका के प्रति परिवर्तित हो गया था एवं अनावेदक, आवेदिका को शराब पीकर मारपीट कर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। अनावेदक, आवेदिका क्र.01 से कहता था कि वह दूसरी

शादी करेगा। दिनांक-04.07.2016 को अनावेदक ने आवेदिका क.01 के साथ मारपीट कर उसके जेवरात छुड़ाकर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। आवेदिका क.01 ने जाति समाज की बैठक रखी थी, जिसमें अनावेदक ने आवेदिका क.01 को साथ में रखने से इंकार कर दिया था। आवेदिका क.01 उसके बच्चों के साथ उसके पिता के पास ग्राम गुराखारी में निवास कर रही है उसके बाद अनावेदक उसके बच्चों से मिलने नहीं आया और ना ही उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था की है। आवेदिका क.01 के पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका क.01 उसके तीनों पुत्र-पुत्रियों के साथ निवास कर रही है जो कक्षा 7वीं, 5वीं एवं चौथी में अध्ययनरत है। जिनकी पढ़ाई-लिखाई एवं गुजर बसर के लिए आवेदिका को प्रतिमाह 15,000/-रुपये एवं स्वयं के लिए 5,000/-रुपये की आवश्यकता पड़ती है। अनावेदक शासकीय नौकरी सब इंजिनियर के पद पर पदस्थ हैं, जिसे प्रतिमाह 35,000/-रुपये वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक के पास 10.00 एकड़ भूमि शामिल खाते में एवं 12.00 एकड़ दो फसली भूमि अनावेदक के नाम पर है। अनावेदक के पास एक ट्रेक्टर है। इस प्रकार अनावेदक वेतन के अतिरिक्त कृषि कार्य से भी वार्षिक 10,00,000/-रुपये की आय अर्जित करता है। अनावेदक साधन-संपन्न व्यक्ति है, जो आवेदिका को प्रतिमाह 20,000/-देने के लिए सक्षम है। आवेदिका ने उसके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उसे भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4- अनावेदक द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक का विवाह आवेदिका क.01 के साथ जाति रीति-रिवाज अनुसार संपन्न नहीं हुआ है। चूंकि अनावेदक गोंड जाति का सदस्य है, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है तथा आवेदिका क.01 लोहार जाति की महिला है। आवेदिका क.01 का अनावेदक के साथ अन्तरजातिय विवाह नहीं हुआ है। इस कारण आवेदिका क.01, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी नहीं है। आवेदिका ने अनावेदक के साथ एक वर्ष तक रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया था। उसके पश्चात् आवेदिका क.01 के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। इस कारण आवेदिका क.01 अनावेदक के परिवार वालों से लड़ाई-झगड़ा तथा मारपीट करने लगी थी। अनावेदक के संसर्ग से आवेदिका क.01 के पुत्र-पुत्री आवेदक क.02, 03, 04 का जन्म हुआ था। उसके पश्चात् आवेदिका क.01, अनावेदक के चरित्र पर संदेह करने लगी थी तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी थी, परंतु अनावेदक द्वारा समाज में स्थापित मान-प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2003 से दिनांक-03.06.2016

तक अन्य आवेदकगण को साथ में रखकर लालन-पोषण किया था किन्तु आवेदिका क.01 अनावेदक की जानकारी के बिना उसके माता-पिता के यहां जाकर निवास करने लगी थी। अनावेदक द्वारा उसके रिश्तेदारों के साथ आवेदिका क.01 को लाने का प्रयास किया था, किन्तु आवेदिका क.01 अनावेदक के चरित्र पर संदेह उत्पन्न कर बिना किसी पर्याप्त कारण के उसके माता-पिता के पास निवास कर रही है। अनावेदक ने सामाजिक मीटिंग रखी थी, उसमें दोनों को समझाईश दी गई थी। उसके पश्चात् आवेदिका क.01, अनावेदक के साथ कुछ दिन तक अच्छे से रही थी, उसके पश्चात् उसके माता-पिता के साथ निवास करने लगी थी। अनावेदक द्वारा आवेदिका क.01 को अपने साथ रखने के लिए सामाजिक रूप से मीटिंग करवाई थी। कुछ दिन तक आवेदिका क.01 अनावेदक के साथ रही थी परंतु आवेदिका क.01 के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। आवेदिका क.04 रुकमणी को गोरेलाल कुंजाम एवं उसकी पत्नी रूवरूपाबाई कुंजाम ने दिनांक-16.05.2013 को आवेदिका क.01 एवं अनावेदक की स्वतंत्र सहमति से विधिवत् गोदपुत्र लेकर रजिस्टर्ड गोदनामा संपादित कराया है, तब से लेकर दत्तक गृहिता गोरेलाल कुंजाम एवं स्वरूपाबाई के द्वारा आवेदिका क.04 का पालन-पोषण किया जा रहा है। आवेदक क.03 डेनथिम्मे अनावेदक के पास रहकर पढ़ाई का कार्य कर रहा है, जिसका संपूर्ण खर्च अनावेदक द्वारा किया जा रहा है एवं आवेदक क.02 थैन्सनानी जो केवलारी में अध्ययन करता है, उसका भी लालन-पालन एवं भरण-पोषण अनावेदक करता है। आवेदिका सिलाई, बुनाई एवं कढ़ाई कर 10,000/-रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती है तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही है। जबकि अनावेदक, आवेदिका क.01 को अपने साथ में रखकर उसका भरण-पोषण करने के लिए तैयार है। अनावेदक ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5- आवेदनपत्र के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदकगण के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

-:निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

6— समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

7— आवेदिका कलावती आ.सा.1 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि उसकी शादी अनावेदक से दिनांक 12.12.2002 को कलेक्टर कार्यालय बालाघाट से संपन्न हुई थी। उसके एक माह पश्चात अनावेदक के घर से जाति रीति रिवाज अनुसार शादी हुई थी। उसके बाद आवेदिका क01 अनावेदक के साथ रहने लगी थी। आवेदिका क01 को अनावेदक के संसर्ग से तीन संताने आवेदक क02 लगा. 04 हुई थीं। उसके बाद अनावेदक आवेदिका क01 के साथ शराब पीकर मारपीट करता था कहता था कि वह मायके से कुछ लेकर नहीं आई है, मायके चली जाए वह दूसरी शादी करेगा। आवेदिका क.01 को परेशान कर घर से निकाल दिया था। आवेदिका क01 ने समाज में मीटिंग रखी थी तब दोनों के मध्य राजीनामा हुआ था परंतु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दिनांक 04.07.2016 को अनावेदक ने आवेदिका क01 के साथ मारपीट कर उसके जेवर छुड़ाकर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। इस कारण आवेदिका क01 उसके मायके ग्राम गुराखारी में उसके बच्चों सहित निवास कर रही है। अनावेदक आवेदकगण को कभी देखने नहीं आता है एवं उन्हें कोई भरण-पोषण राशि नहीं देता है। आवेदिका के पुत्र-पुत्रियां पढ़ाई करते हैं उसमें आवेदिका को पंद्रह हजार रुपए खर्चा आता है एवं दवाई, खाना, कपड़ा के लिए आवेदिका क01 को पांच हजार रुपए का खर्च आता है। आवेदिका के बीस हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। आवेदिका क.01 का उक्त खर्च उसके मायके वाले उठाते हैं। अनावेदक सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ है उसे चालीस हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक के पास 15 एकड़ कृषि भूमि है एवं एक ट्रैक्टर है जिससे उसे दस लाख रुपए की आय होती है। आवेदकगण को अनावेदक से बीस हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाई जावे।

8— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह उसके माता-पिता के यहां सिलाई का काम करती है। वह उसकी सहमति से उसके माता पिता के पास निवास कर रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा अनावेदक करता है। आवेदिका क.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री रूकमणी को गोरेलाल एवं सरूपाबाई ने रजिस्टर्ड गोदनामा के द्वारा गोद लिया था। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि उसकी पुत्री रूकमणी उसके पास ही रहती है। आवेदिका क01 ने अनावेदक के विरुद्ध पुलिस थाना बैहर में प्र.पी.01 की रिपोर्ट की थी। अनावेदक के नाम से ग्राम सेरपा में भूमि है जिसका खसरा पांचसाला प्र.पी.03 है। ग्राम केवलारी

की भूमि का खसरा पांचसाला प्र.पी.04 है। अनावेदक की ग्राम सेरपार की भूमि का नक्सा प्र.पी.06 है। अनावेदक की ग्राम केवलारी की भूमि का नक्सा प्र.पी.07 है। आवेदिका क०1 का अनावेदक के साथ हुए विवाह का प्रमाण पत्र प्र.पी.08 है।

9— जीवनलाल आ.सा.02 ने आवेदिका क०1 के अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि आवेदिका क०1 अनावेदक की पत्नी हैं। उनके सभी पुत्र-पुत्री आवेदिका क०1 के पास ग्राम गुराखारी में रहते हैं। आवेदिका क०1 एवं अनावेदक का विवाद होते रहता है। इसलिए अनावेदक आवेदिका एवं उसके पुत्र-पुत्री को देखने कभी नहीं आता है। अनावेदक ने उनकी परवरिश की भी कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका क०1 के पुत्र-पुत्री को पांच हजार रुपए पढ़ाई, भरण-पोषण का खर्चा एवं आवेदिका के लिए पांच हजार रुपए का खर्चा आता है, आवेदिका को बीस हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आवेदिका क०1 की साक्ष्य की पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आवेदिका क०1 उसके घर में सिलाई, बुनाई का काम करती है। आवेदिका क०1 अनावेदक की लकवा की बीमारी होने के कारण उसकी सेवा नहीं करनी पड़े इसलिए उसके माता पिता के पास आकर रह रही है।

10— प्रकरण में आवेदिका क०1 की साक्ष्य के खण्डन में अनावेदक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। आवेदिका की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आवेदिका क०1 एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने पर अखिल भारतीय विद्या परिषद तहसील बैहर के सदस्यों के मध्य सामाजिक बैठक रखी गई थी। बैठक में समझाईस के बाद आवेदिका क०1 एवं अनावेदक साथ रहने लगे थे किंतु उसके बाद भी उभयपक्ष के मध्य दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं रहे। आवेदिका क०1 कलाबती की इस संबंध में साक्ष्य अखण्डित रही है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका क०1 के साथ मारपीट करने से आवेदिका क०1 परेशान होकर उसके मायके में उसके पुत्र-पुत्रियों के साथ रह रही है। इस प्रकार आवेदिका क०1 मजबूरन उसके मायके में उसके पुत्र-पुत्रियों के साथ निवास कर रही है और उसके मायके में रहने के दौरान आवेदकगण के अनावेदक ने भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका की पुत्री रुकमणी भी आवेदिका के साथ ही रहती है। आवेदिका क०1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।

11— प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका क०1 एवं उसके साक्षी की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक ने आवेदिका क०1 एवं उसकी पुत्री रुकमणी के गोदनामा के दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की है। अनावेदक ने उक्त दस्तावेज को असल प्रस्तुत कर साक्ष्य में प्रदर्श नहीं कराया है एवं आवेदिका

क.01 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसकी पुत्री रूकमणी उसके साथ ही निवास करती है। इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका क.01 की पुत्री रूकमणी उसको गोद लेने वाले व्यक्ति के पास रहती है। आवेदिका क.01 की पुत्री रूकमणी आवेदिका के पास रहती है, उसका भरण-पोषण वही करती है। प्रकरण में आवेदिका क.01 की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-8 के विशेष विवाह प्रमाणपत्र में यह लिखा है कि आवेदिका एवं अनावेदक का न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष बालाघाट में विवाह हुआ था। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-8 के विवाह प्रमाणपत्र से एवं आवेदिका क.01 कलावती एवं उसके साक्षी जीवनलाल अ.सा.02 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका क.01, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

12— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अनावेदक की मासिक वेतन की प्रदर्श पी-2 की पर्ची से यह स्पष्ट है कि अनावेदक सब-इंजिनियर के पद पर पदस्थ है। प्रदर्श पी-3 एवं 4 के खसरा पांचसाला, प्रदर्श पी-6, 7 के नक्शाप्रिंट आउट से यह प्रमाणित है कि अनावेदक के पास कृषि भूमि है। अनावेदक के पास ट्रेक्टर भी है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर पर्याप्त आय प्राप्त करता है। अनावेदक, आवेदकगण की भरण-पोषण राशि देने में सक्षम व्यक्ति है। आवेदकगण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। अनावेदक ने आवेदकगण के भरण-पोषण से इंकार कर उनके भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है। आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। आवेदिका क.01 उसका एवं उसके पुत्र-पुत्रियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नी एवं नाबालिग पुत्र-पुत्रियों के भरण-पोषण का दायित्व पति एवं पिता पर होता है, किन्तु अनावेदक ने आवेदिका क.01 के साथ मारपीट कर अपने घर से भगा दिया है। आवेदिकागण के रहन-सहन एवं वर्तमान समय की मंहगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका क.01 को 3,000/- (तीन हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि एवं आवेदिका क.02 को 1,000/- (एक हजार) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि, आवेदिका क-03 को 1,000/- (एक हजार) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि, आवेदिका क-04 को 1,000/- (एक हजार) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 8 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

13- अनावेदक, आवेदकगण का व्यय वहन करेगा।

14- आवेदकगण को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील.बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अ)